

22/5/24

पार्श्व अधि. द्वारा पार्श्वमा पत्र प्राप्त मिश्राल ललवी को पेश
 किया गया एवं पत्रावलियों को आज ही सुनवाई हेतु रखने
 का निवेदन किया। जिसमें श्रीकांत उर आज ही सुनवाई
 हेतु रखा गया। पूर्वी पार्श्वी व मूल वाक में अरिच
 राजीनामा विद्वा उर्ध्वमा पत्र श्रीकांत उर द्वारा अरिच
 किया जा चुका है अतः अन्वयार्थ निवेद्यारा पार्श्वमा
 पत्र नारहीन होयै तै अरिच किया जाता है।
 पत्रावलियों केवल सुमार हीमिद वाखिल दफ्तर है।